



Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com



No. RPCB/RO Bundi/PUB-144/903-914

Date: 07/08/25

M/s Shree Kamakshi Transport,
C/o. Shri Mayank Garg S/o Madan Lal Agarwal,
R/o Kharsiya Makan No. 30/16, T.I.T Colony Kharsiya
District Raigarh State Chhattisgarh PIN 496661
(Email - shreekamakshi09@gmail.com)

Sub: Regarding conducting Public Hearing for Environmental Clearance of Bajri (River Sand) Mining Project of M/s Shree Kamakshi Transport, Plot No. – BJ-49/2024 Bajri Plot No. 25, Area – 72.4598 Hectare, with production capacity of 26,08,552.80 TPA (ROM), located Near Village– Banthali, Tehsil Duni, District– Tonk (Rajasthan),

Ref: Office of District Collector and District Magistrate, Tonk letter no. 20500 dated 01/08/2025.

Sir,

With reference to above, it is to inform you that Office of District Collector and District Magistrate, Tonk vide letter no. 20500 dated 01/08/2025 has scheduled Public Hearing on date 20/09/2025 time 11:00 AM at Office of Tehsildar Duni, Tehsil Duni, District Tonk.

Kindly find enclosed a Public Notice to be published in one major National Daily Newspaper and One Regional Vernacular Daily Newspaper/ Official State Language News papers before 30 days of Public Hearing date as per provision of MoEF & CC, New Delhi notification dated 14/09/2006, and amended time to time.

The newspaper cuttings are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at place **Office of Tehsildar Duni, Tehsil Duni, District Tonk at 11:00 AM on date 20/09/2025.**

You are also requested to make available copies of Draft EIA/EMP reports and executive summary report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the E.I.A. Notification 2006 and further amendments and ensure wide publicity of the Public Hearing.

Yours sincerely

Encl :- As above


Regional Officer,
RSPCB, Bundi

Copy to following for information & necessary action as per E.I.A. Notification :-

1. District Collector, Distt. Tonk.
2. Director, Environment Department, Rooms Number 8240, Second Floor, U-P (SSO) Building, Secretariat, Jaipur.
3. Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, 4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur.
4. Regional Office, Ministry of Environments Forest and Climate Changes, Government of India, A-218, Aranya Bhawan, Jhalana Institutional Area, Jaipur 302004.
5. Additional District Magistrate, Tonk, Distt. Tonk.

Copy to following to widely publicize it within your respective jurisdiction and to make available Draft EIA & Executive Summary for inspection to the public :-

6. Chief Executive officer, Zila Parishad, Distt. Tonk.
7. General Manager, District Industrial Center, Distt. Tonk.
8. Assistant Mining Engineer, Department of Mines & Geology, District Tonk.
9. Block Development Officer, Panchayat Samiti Deoli, Tehsil Deoli, District Tonk.
10. Gram Panchayat Banthali, Tehsil Duni, District Tonk.
11. ACP RSPCB, Jaipur with request to upload on Board's website.


Regional Officer,
RSPCB, Bundi



No. RPCB/RO Bundi/PUB- 144 /902

Date:- 07/08/25

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है मैसर्स श्री कामाक्षी ट्रांसपोर्ट, प्लॉट सं. BJ-49/2024, बजरी प्लॉट सं. 25 की प्रस्तावित बजरी खनन पट्टा क्षेत्रफल 72.4598 हेक्टेयर तथा उत्पादन क्षमता 26,08,552.80 TPA(ROM) निकट राजस्व ग्राम बंधली, तहसील दूनी, जिला टोंक से सम्बन्धित प्रस्तावित बजरी खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति/राज्य स्तर पर्यावरण समाद्यात निधारण प्राधिकरण राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
2. चूंकि मैसर्स श्री कामाक्षी ट्रांसपोर्ट, द्वारा उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में पर्यावरणीय जनसुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533 (ई) दिनांक 14/09/2006 एवं समय-समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
4. उक्त परियोजना से सम्बन्धित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख (हिन्दी व अंग्रेजी में) निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-
 - i. कार्यालय जिला कलक्टर, टोंक।
 - ii. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
 - iii. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
 - iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
 - v. कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला टोंक।
 - vi. कार्यालय महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला टोंक।
 - vii. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी।
 - viii. कार्यालय सहायक खनिज अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, टोंक, जिला टोंक।
 - ix. कार्यालय पंचायत समिति देवली, तहसील देवली, जिला टोंक।
 - x. कार्यालय ग्राम पंचायत बंधली तहसील दूनी व जिला टोंक।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक के पत्र क्रमांक:-न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/20500 दिनांक 01/08/2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई में दिनांक 20.09.2025 (शनिवार) को स्थान कार्यालय तहसीलदार दूनी, तहसील दूनी, जिला टोंक में समय प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आपत्ति/आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में आपत्ति/आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

भवदीय

(शिव कुमार)

क्षेत्रीय अधिकारी,

रा.रा.प्र.नि.मं. बून्दी